लोकल खरीद के मामलों में सूत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया

1. उत्तर मध्य रेलवे के सभी पंजीकृत स्रोत स्वत: रूप से उनके संबंधित व्यापार समूहों के लिए और डिपो में उनके अनुरोध पर उनकी संबंधित मौद्रिक सीमा तक पंजीकृत स्रोतों के रूप में स्वीकार किए जाते है।

2. जब कोई नया स्रोत डिपो मे पंजीकरण हेतु अपने लेटर हेड पर अनुरोध करता है। उन्हे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है:

i. राज्य बिक्री / व्यापार कर पंजीकरण प्रमाणपत्र और रिटर्न

ii. बिजली की कनेक्शन रसीद एवं मासिक बिल

iii. टेलीफ़ोन बिल

iv. स्थानीय नगर निकाय के साथ दुकान / कार्यालय / गोदाम के पंजीकरण प्रमाणपत्र

v. आयकर रिटर्न

vi. वार्षिक कारोबार

vii. पिछले प्रदर्शन का विवरण

3. इसके बाद उपरोक्त दस्तावेजों को प्रतिनियुक्त कर्मचारियो द्वारा फर्म के कार्यालय मे जाकर सत्यापित किया जाता है।

4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सिफारिश पर फर्म या तो पंजीकृत की जाती है या फिर उनका अनुरोध निरस्त किया जाता है,जैसा भी मामला हो ।

5. सामान्यता फर्म एक साल की अवधि के लिए पंजीकृत किए जाते हैं इसके बाद उनके अनुरोध और प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर उनको नए सिरे से पंजीकृत किया जाता है।

6. फर्म को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, स्टेशनरी, पेंट और वार्निश,तेल और स्नेहक, जनरल आदि की व्यापक मदों की श्रेणियों के लिए पंजीकृत किया जा रहा है ।

7. रेलवे / डिपो किसी भी फर्म के पंजीकरण लिए आवेदन को अस्वीकार या आवेदन की अनदेखी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है बिना कोई कारण बताए ।